



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032021-226216
CG-DL-E-29032021-226216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2021/चैत्र 8, 1943

No. 169]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2021/CHAITRA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2021

सं. 34/2021-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 218(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 और 47 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, बिल ऑफ एंट्री (एलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिकलेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) नियमावली, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों को बिल ऑफ एंट्री (एलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिकलेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- बिल ऑफ एंट्री (एलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिकलेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) नियमावली, 2018 (एतद्द्वारा पश्चात् जिसे उक्त विनियमावली से संदर्भित किया गया है) में विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, उप-वाक्य (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

‘(गक) “कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम” से अभिप्राय इंडियन कस्टम्स एलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम से है;’

3. उक्त विनियमावली में, विनियम 3 और 4 में, अभिव्यक्ति “कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम” और “कस्टम्स औटोमेटेड सिस्टम” जहां जहां भी ये आए हो, वहाँ वहाँ इनके स्थान पर, अभिव्यक्ति “कॉमन पोर्टल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त विनियमावली में, विनियम 4 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(1)(क) कस्टम्स पोर्ट (इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर फ्रेट स्टेशन से भिन्न) जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, प्राधिकृत व्यक्ति को जिस दिन उस कस्टम्स पोर्ट पर माल को लाने वाला यान पहुँचता हो, उसके तत्काल पूर्व वाले दिन (जिसमें अवकाश के दिन भी शामिल है) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा:

बशर्ते कि जहां उक्त माल को निम्नलिखित में से किसी भी देश से भेजा गया हो वहाँ प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त यान के उक्त आगमन के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा:-

- (i) बंगलादेश;
- (ii) मालदीव;
- (iii) म्यांमार ;
- (iv) पाकिस्तान ;
- (v) श्रीलंका.

(ख) कस्टम्स एयरपोर्ट जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे कस्टम्स एयरपोर्ट पर माल को लाने वाले एयरक्राफ्ट के पहुँचने के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

(c) इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्रेट स्टेशन जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे इनलैंड कंटेनर डिपो या एयर फ्रेट स्टेशन पर माल को लाने वाले वाहन (रेलगाड़ी समेत) के पहुँचने के दिन के तत्काल पूर्व वाले दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

(घ) लैंड कस्टम्स स्टेशन जहां से माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना हो, के मामले में, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर माल को लाने वाले वाहन (रेलगाड़ी समेत) के पहुँचने के दिन (अवकाश सहित) के समाप्त होने के पहले पहले बिल ऑफ एंट्री को दायर करना होगा।

[फा. सं. 450/148/2015-सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : उक्त प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि 447 (अ) दिनांक 11 मई, 2018 के तहत प्रकाशित कि गयी थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2021

No. 34/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 46 and 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Bill of Entry (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Regulations, 2018, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bill of Entry (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bill of Entry (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as said regulations), In regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (c) , the following clause shall be inserted, namely: -

‘(ca) “Customs Automated System” means the Indian Customs Electronic Data Interchange System;’.

3. In the said regulations, in regulations 3 and 4, for the expressions, “Customs Automated System” and “customs automated system” wherever they occur, the expression “common portal” shall be substituted.

4. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1)(a) In case of a customs port (other than inland container depot and air freight station) at which goods are to be cleared for home consumption or warehousing, the authorised person shall file the bill of entry before the end of the day (including holidays) preceding the day on which the vessel carrying the goods arrives at the customs port:

Provided that the authorised person shall file the bill of entry before the end of the day (including holidays) of said arrival of the vessel where the goods are consigned from any of the countries mentioned below:-

- (i) Bangladesh ;
- (ii) Maldives ;
- (iii) Myanmar ;
- (iv) Pakistan ;
- (v) Sri Lanka.

(b) In case of a customs airport at which goods are to be cleared for home consumption or warehousing, the authorised person shall file the bill of entry before the end of the day (including holidays) of the arrival of the aircraft carrying the goods at the customs airport.

(c) In case of an inland container depot or air freight station at which goods are to be cleared for home consumption or warehousing, the authorised person shall file the bill of entry before the end of the day (including holidays) preceding the day on which the vehicle (which includes train) carrying the goods arrives at the inland container depot or air freight station.

(d) In case of a land customs station at which goods are to be cleared for home consumption or warehousing, the authorised person shall file the bill of entry before the end of the day (including holidays) of the arrival of the vehicle (which includes train) carrying the goods at the land customs station.”.

[F. No. 450/148/2015-Cus.IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 447(E), dated the 11th May, 2018.